राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2410/2011/अलवर

मैसर्स सिद्ध ट्रेडर्स,
नौगावां, अलवर। ..... अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवचंन, अलवर। ..... प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी.गुप्ता
अभिभाषक ..... अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.04.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 87/आरवैट/10–11 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन अलवर (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.06.2010 के जरिये कायम की गयी शास्ति रुपये 75,060/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 21.06.2010 को नौगांवा मे वाहन संख्या आर0जे0–02/जीए–5271 को रोक कर चैक किया गया। वक्त जाँच वाहन चालक/माल प्रभारी श्री लियाकत मेव ने परिवहनित माल से संबधित निम्नाकिंत दस्तावेज प्रस्तुत किए :–

क) मैसर्स बालाजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, अलवर द्वारा बिल्टी न0–432 दिनांक 21.06.2010
ख) मैसर्स सिद्ध ट्रेडर्स, नौगांवा (अलवर) द्वारा मैसर्स हरी ट्रेडर्स पीतमपुरा, दिल्ली के नाम जारी वैट इन्वॉयस न0–905 दिनांक 21.06.2010 जिसमें 210 बोरी गेहूँ वजन 210 क्विंटल रुपये 2,55,198/–

जाँच अधिकारी ने प्रस्तुत वैट इन्वायॅस संदेहप्रद प्रतीत होने पर उसकी जाँच व सत्यापन हेतु अधिनियम की धारा 76(5)(a) के तहत वाहन को मय माल डिटेन करते हुए व्यवहारी फर्म की लेखा पुस्तकें मय खरीद–बिक्री दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिये,

लगातार.....2

जिसकी पालना मे दिनांक 22.06.2010 को व्यवहारी की ओर से श्री मनोज जैन चालू (Current) वैट इन्वायॅस बुक के साथ वास्ते जाँच हेतु उपस्थित हुए। जाँच अधिकारी द्वारा श्री मनोज जैन की उपस्थिति में प्रस्तुत इन्वायस की जाँच व मिलान करने पर पाया गया कि रिकार्ड मे मौजूद कार्यालय प्रति चौडाई में 13.50 से.मी. पाई गई जबकि मूल प्रति चौडाई में 13.75 से.मी. पाई गई तथा वैट इन्वायॅस बुक मे मूल प्रति का ऊपरी हिस्सा (Counterfoil) मौजूद होना चाहिए था, वो सिले हुए हिस्से से गायब पाया गया। जाँच मे स्पष्ट पाया गया कि व्यवहारी ने वक्त चैकिंग प्रस्तुत वैट इन्वायॅस नं0–905 दिनांक 21.06.2010 को किसी अन्य समानान्तर वैट इन्वायॅस बुक से तैयार किया था तथा वाहन को जाँच हेतु रोके जाने पर पश्चातवर्ती सोच के तहत उक्त इन्वॉयस की समांतर वैट इन्वॉयस बुक से प्रति निकालकर नियमित वैट इन्वॉयस बुक मे रख कर साईज बराबर करने हेतु उसकी कंटिग कराकर पेश की। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा मिथ्या एवं कूटरचित वैट इन्वॉयस तैयार करके उसके जरिये कर योग्य माल परिवहनित करने पर जाँच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत अभियोग प्रस्तावित करते हुए पत्रावली सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई।

3. सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोग पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से मिथ्या एवं कूटरचित वैट इन्वॉयस तैयार कर 210 बोरी गेहूँ को नौगांवा से दिल्ली के लिए परिवहनित किया है, जो कि अधिनियम 76(2)(b) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जिस पर अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई के पश्चात माल कीमतन रुपये 2,50,200/– धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 75,060/– आरोपित की गई।

4. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील माननीय राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेश मे अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन आरोपित की गई शास्ति पूर्णतः अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में उन्होनें कथन किया कि अपीलार्थी विभाग में पंजीकृत व्यवहारी है, जिसके द्वारा मैसर्स हरि ट्रेडर्स पीतमपुरा, दिल्ली के नाम जरिये वैट इन्वायस नं0–905 दिनांक 21.06.2010 जिसमें 2 प्रतिशत सीएसटी चार्ज किया हुआ था के द्वारा 210 बोरी गेहू कीमतन रुपये 2,55,198/– मैसर्स बालाजी ट्रासंपोर्ट कम्पनी, अलवर की बिल्टी संख्या–432 दिनांक 21.06.2010 से परिवहनित किया जा रहा था तथा वक्त जाँच

लगातार.....3

परिवहनित माल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न थे, जिन्हे वाहन चालक/माल प्रभारी ने जाँच अधिकारी को पेश कर दिये थे एवं उनके द्वारा सन्देह होने पर जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार जैन चालू वैट इन्वायॅस बुक सहित वास्ते जाँच हेतु उपस्थित जांच भी करवा दी। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे कथन किया कि जाँच अधिकारी द्वारा जाँच किए जाने पर बिल बुक में मौजूद वैट इन्वायॅस नं0–905 की कार्बन की प्रति चौड़ाई 13.5 सेमी पाई गई जबकि वैट इन्वॉयस की मूल प्रति कर उपरी हिस्सा मौजूद नही था अर्थात् सिले हुए हिस्से से गायब पाया गया, जो स्वाभाविक था ऐसा बिल फाड़ते समय हो सकता है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि जाँच अधिकारी ने बिना किसी ठोस आधार के यह मानते हुए कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त चैकिंग परिवहनित माल से संबंधित प्रस्तुत वैट इनवाइस नं0–905 दिनांक 21.06.2010 किसी अन्य समान्तर वैट इॅन्वाइस बुक जारी किया था एवं उक्त मिथ्या एवं कूटरचित वैट इनवायॅस से करयोग्य माल का करापवचंन की मंशा से राज्य के बाहर परिवहन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति का आरोपण किया गया है, जो विधिसम्मत नही है, क्योंकि इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी को बताया भी गया है कि कुल पांच बिलों मे से दो बिलों का उपरी हिस्सा नहीं था अर्थात सिले हुए हिस्से से गायब थे। उन्होनें कथन किया कि नौगांवा छोटी जगह होने से वहां पर मौजूद प्रिन्टिंग प्रेस आधुनिक नही होने से बिलों की कटिंग उचित तरीके से नहीं होने के कारण बिल बुक में बिल छोटे बड़े रहे गये इसमें अपीलार्थी व्यवहारी की कोई गलती नही है क्योंकि बिल बुक प्रिन्टिंग प्रेस मे तैयार की जाती है। उन्होनें कथन किया कि अपीलार्थी ने इस तथ्य के समर्थन में पूजा प्रिन्टर्स, नौगांवा के मालिक श्री रघुवीर का शपथ–पत्र भी अपील के साथ पेश किया था, जो अपील पत्रावली पर उपलब्ध है। उसके विरुद्ध कोई काउन्टर शपथ पत्र राजस्व द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. बहस को आगे बढाते हुए विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित मामले में मात्र सन्देह की कल्पना के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति का आरोपण किया गया है जो न्यायोचित नही है, क्योंकि कानून शक व संदेह के आधार पर शास्ति लगाने की इजाजत नही देता है। इस संबंध में उन्होनें बताया कि विधि स्पष्ट है, शास्ति आरोपण अर्द्ध–न्यायिक प्रक्रिया है एवं तब तक शास्ति आरोपण अनुचित है, जब तक उसके विरुद्ध करवंचना सिद्ध नहीं हो। अपने कथन की पुष्टि में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने निम्नाकिंत न्यायिक निर्णयों को उद्धरित किया :–

1-76 ITR 606 (S.C.) 2- 25 STC 211 (S.C.) 3- 114 STC 285 (ALLAHABAD H.C.)
4- 123 STC 172 (R.H.C) 5- 120 STC 172 (R.H.C) 6- 9 TDU 125 (R.H.C)
7- 9 TDU 125 (R.H.C)

लगातार.....4

अन्त में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक निर्णयों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करने तथा सक्षम अधिनियम की धारा 76 (6) के अधीन आरोपित शास्ति को अपास्त करने की प्रार्थना की।

8. विभागीय प्रतिनिधि ने सक्षम अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन करते हुए इसे यथावत रखने का अनुरोध किया।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं रिकार्ड पत्रावली के अवलोकन के साथ–साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्वरित न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि वक्त जाँच अपीलार्थी के वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत परिवहनित माल से संबंधित वैट इन्वायस नं0–905 की मूल प्रति का मिलान/सत्यापन जाँच अधिकारी द्वारा वैट इन्वाइस बुक से किए जाने पर मूल बिल की चौडाई एवं वैट इन्वायॅस बुक मे मौजूद उक्त मूल बिल की कार्बन प्रति की ईकाई की चौड़ाई में अन्तर को इन्वायस के मिथ्या अथवा बोगस माना जा सकता है या नहीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वैट इन्वॉयस बुक मे परिवहनित माल से संबंधित जारी मूल बिल का उपरी हिस्सा मौजूद नही था अर्थात सिले हुए हिस्से से गायब पाया गया, जिसे जाँच अधिकारी द्वारा यह माना गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से समानान्तर दूसरी वैट इन्वायॅस बुक से वैट इन्वायॅस नं0–905 दिनांक 21.06.2010 तैयार किया जाकर उक्त मिथ्या एवं कूटरचित वैट इन्वायॅस के माध्यम से 210 बोरी गेहूँ राज्य के बाहर दिल्ली को परिवहन किया जाकर अधिनियम की धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित मामले मे परिवहनित माल कीमतन रुपये 2,50,200/– पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति रुपये 75,060/– आरोपित की गई है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित बिल बुक अवलोकनार्थ पेश की गई थी, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि उक्त बिल बुक की बांयी तरफ की कंटिग पूर्णतः एक साईज में है और समान है अर्थात बायीं तरफ से किसी भी बिल की चौड़ाई कम/ज्यादा नही है। जबकि उक्त बिल बुक कर दायी तरफ की कटिंग एक समान नही पायी गई। इस बिल बुक में मौजूद 100 बिलों मे से 94 बिलों के दायीं तरफ की चौड़ाई का साईज 13.50 से0मी0 पाया गया तथा पाँच बिलों क्रमशः नं0 910, 920, 937, 960 एवं 1000 मय कार्बन प्रति की दायीं ओर की चौड़ाई का साईज 13.75 से0मी0 पाया एवं विवादित बिल नं0–905 की मूल प्रति की दांयी ओर की चौड़ाई का साईज 13.75 से0मी0 पाया गया। इस प्रकार उक्त बिल बुक मे मौजूद 100 बिलों की दायीं ओर की चौड़ाई का साईज एक समान नहीं होकर लगभग पाँच बिलों के अंतराल के बाद एक बिल मय कार्बन प्रति की दांयी ओर की चौड़ाई 13.75 से.मी. पाई गई तथा शेष बिलों की दायीं ओर की चौड़ाई का साईज 13.50 से0मी0 पाया गया। अतः बिल बुक के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट

लगातार.....5

हो जाता है कि इसकी दांयी ओर की कंटिग एक समान न होकर बीच–बीच में छोटी–बड़ी है तथा इस प्रकार की कंटिग किसी भी कटर मशीन से किसी भी स्थिति में किया जाना संभव नही है। बिल बुकों के साईज में इस प्रकार का अंतर आना केवल तभी संभव हो सकता है जबकि उक्त बिल बुक को खोलकर इसके बीच–बीच में इसकी समानान्तर दूसरी बिल बुक के बिलों को इसमें शामिल किया जावें।

10. उक्त बिल बुक का अवलोकन अपीलीय अधिकारी किये जाने के उपरान्त प्रस्तुत निष्कर्ष के मध्यनजर बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया यह कथन है कि नौंगावा छोटी जगह होने एवं वहां पर मौजूद प्रिन्टिग प्रेस आधुनिक नहीं होने से बिलों की कंटिग सही ढंग से नहीं होने के कारण उक्त बिल बुक में बिल छोटे बड़े रह गए जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी की कोई गलती नहीं हैं क्योंकि बिल बुक प्रिन्टिंग प्रेस मे तैयार की जाती है, किसी भी स्थिति मे मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कटर मशीन से किसी भी बिल बुक की ऐसी कंटिग किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नही है, जिसमें बिल बुक में मौजूद बिलों को बायीं तरफ की कंटिग तो एक समान हुई हो तथा दांयी तरफ की कंटिग करते समय 10–20 बिलों के अन्तराल के बाद के 5–6 की चौड़ाई की कंटिग का साईज 13.75 से0मी0 हो तथा शेष बिलों की चौड़ाई की कंटिग का साईज 13.50से0मी0 हो। अपीलीय अधिकारी का बिल बुक के अवलोकन में निकालें गये निष्कर्ष को न मानने का कोई कारण दृष्टव्य नहीं है।

11. उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवादित मामले मे जाँच अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा बिल बुक की जाँच किये जाने के उपरान्त ही तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जिस वैट इन्वॉयस नं0 905 से 210 बोरी गेहूं का परिवहन राज्य के बाहर दिल्ली के लिए किया जा रहा था वह नोटिस की पालना में जाँच हेतु प्रस्तुत की गई वैट इन्वाइस बुक में से जारी नही किया जाकर इसके समानान्तर किसी अन्य वैट इन्वायॅस बुक में से जारी किया जाना स्पष्ट है। अतः अपीलीय अधिकारी के निष्कर्ष से स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित मामले में करापवंचन की मंशा से मिथ्या एवं कूट रचित दस्तावेजों से राज्य के बाहर करयोग्य माल का परिवहन किया जा रहा था, जिसे जाँच अधिकारी द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान रोका जाकर जांच के पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति आरोपण किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत प्रतीत होती है। इस क्षेत्र में करवंचना का यह जाना पहचाना तरीका (modus oprendi) है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त संदर्भ में ऐसा कोई ठोस कारण/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे की प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन आरोपित शास्ति एवं अपीलीय

लगातार.....6

अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की जाने को अविधिक ठहराई जा सके। जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान उद्धरित किये गये न्यायिक निर्णयों का प्रश्न है, वो सक्षम अधिकारी द्वारा मूल वैट इन्वाइस का मिलान/सत्यापन वैट इन्वाइस बुक की डुप्लीकेट प्रति से किये जाने पर ही इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इसके माध्यम से राज्य के बाहर माल का परिवहन किये जाने को दर्शाता है। अतः प्रकरण में अपीलार्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रकट होता है, अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्य से मेल नहीं खाते है अतः ससम्मान यहां लागू करवाना संभंव नहीं पाते है। सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन आरोपित की गई शास्ति विधिसम्मत प्रतीत होती है।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई, प्रस्तुत तर्को एवं उद्धरित न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादित मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल कीमतन रुपये 2,50,200/– पर अधिनियम कर धारा 76(6) के अधीन आरोपित की गई शास्ति रुपये 75,060/– एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किा जाना पूर्णतः विधिसम्मत होने के कारण इसे यथावत् रखते हुए अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

28.4.2011

(मदन लाल)
सदस्य